कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिलाः–दुर्ग

जोन कंमाक– 05

क्र./लो.क.वि/जोन क्र. 05 /2022/ 588 — भिलाई दिनांक 07-06-22

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015, रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 विद्युत एस.ओ. आर. 01.07.2015/01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन नियत तिथि **20.06.2022**–को सांय 5.30 बजे तक इस कार्यालय में आवेदन के साथ निर्धारित राशि नगद जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

1.निविदा जारी करने की तिथि – दिनांक **07.06.2022**

2. आवेदन की अंतिम तिथि– दिनांक **20.06.2022** सांय 5.30 बजे तक

3. निविदा प्राप्ति की तिथि – दिनांक **29.06.2022** सांय 5.30 बजे तक

4. निविदा खोले जाने की तिथी – दिनांक **30.06.2022** प्रातः 11.00 बजे

नोटः–निविदादाता लिफाफा में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता अनिवार्य रूप से अंकित करें ।

क्र	कार्य का नाम	निविदा लागत राशि (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	जोन क्र 05 अंतर्गत सेक्टर 06 सतनाम भवन में जनरेटर प्रदाय का कार्य।	6.00	4500.00	750.00	30 दिन

(1) उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** ,संचालनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** एवं चीप्स की वेबसाईट के वेबसाईट **eproc.cgstate.gov.in** से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्र. 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

जोन कंमाक– 05

E mail:- zonefivebhilai@gmail.com

नियम एवं निविदा शर्ते :–

01. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 विद्युत एस.ओ.आर. 01.07.2015/01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक **29.06.2022** को सांय **5.30** बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक **30.06.2022** को प्रातः **11.00** बजे खोली जावेंगी। निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र क्रय हेतु इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए आवेदन दिनांक **20.06.2022** को सायं **5.30** बजे तक इस कार्यालय में आवेदन के साथ निर्धारित राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समया –वधि
1	जोन क्र 05 अंतर्गत सेक्टर 06 सतनाम भवन में जनरेटर प्रदाय का कार्य।	6.00	4500.00	750.00	30 दिन

(नोट– उपरोक्त समस्त कार्यो हेतु पृथक–पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है ।)

02. उपरोक्त कार्य हेतु निविदाकार को लिफाफा 'क' में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना होगाः– निर्धारित धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता/जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर., कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी **ई–पंजीयन,** शपथ पत्र, पेन कार्ड, विगत वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न, जीवित बैंक सालवेंसी (2 लाख से कम लागत राशि के कार्य हेतु बैंक साल्वेंसी की आवश्यकता नहीं होगी), जी.एस.टी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं लिफाफा **"ख"** में निविदा प्रपत्र दर सहित प्रस्तुत करना होगा। इलेक्ट्रीक कार्य हेतु पंजीकृत इलेक्ट्रीकल लाइसेंस होना आवश्यक होगा।
03. लिफाफा 'क' एवं 'ख' लिफाफे के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा एवं पोस्टल पता सहित एक बडे लिफाफा में डालकार स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा।
04. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
05. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी।
06. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी।
07. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की **एफ.डी. आर.** नियमानुसार परफारमेंस गांरटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा।
08. वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होगें। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
09. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
10. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

11. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्ते निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तो के अलावा बंधनकारी होगी।

12. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तो में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

13. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/राशि की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कार्य का देयक भुगतान किया जायेगा

14. कार्यादेश उपरांत ले-आऊट दिये जाने पर कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य में लगने वाली समस्त सामाग्री की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सामाग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।

15. ठेकेदार को कार्य का सम्पादन संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, कार्य का प्राक्कलन, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता के अनुसार करना होगा। कार्य निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर उसमें निर्देशानुसार आवश्यक सुधार/मरम्मत कार्य करना होगा। उक्त मरम्मत/सुधार कार्य के लिए ठेकेदार को अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय/भुगतान नहीं होगा।

16. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।

17. निविदाकर्ता/ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य का विस्तृत विवरण (कार्य का नाम, योजना/मद, कार्य की लागत आदि) दर्शाते एक बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।

18. निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई** का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन क्र. 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner